


## शुद्धि-पत्र

दिनांक १६.०३.२०२१ को दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत मो. मोहशिन कमाल पिता मो. सुलेमान , निवासी ग्राम: हरली; थाना: दारू ,जिला: हजारीबाग (झारखण्ड), मो. अफ़ताब अंसारी पिता अब्दुल रौफ निवासी ग्राम: बारगाँव; थाना: टंडवा ,जिला: चतरा (झारखण्ड) मो. अनवर अंसारी पिता मो. इरफान अंसारी निवासी ग्राम: मुरपा; थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार(झारखण्ड), शगुफ़ता अंजुम पति नुमान अंसारी निवासी ग्राम: मुरपा; थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार(झारखण्ड) और नुमान अंसारी पिता शहादत अंसारी निवासी ग्राम: मुरपा; थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार(झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: मंगरदाहा, थाना सं: 80; खाता सं. 22 के अधीन प्लॉट सं. 109, 34, 49, 59, 66, 323, 330, 338, 37, 184, 136, 120, 123, 289, 298, 301 और 368, ग्राम: बेंती, थाना सं: 97; खाता सं. 98 के अधीन प्लॉट सं. 1564, 1575, 1579, 1601, 1532, 1540, 564, 566, 568, 1354, 1361, 1373, 1403, 1407, 1409, 1418, 1431 और 1439, कुल रकबा - 10.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है | जिसमें भूमि का किस्म रैंयती दर्ज़ है जिसे गैरमजरुवा खास पढ़ा जाये /

  
20/3/21

